उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या- 46 /08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024

लखनऊः दिनांक 26 जून, 2024

आवश्यक सूचना

आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के कुल रिक्त 4612 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।

प्रश्नगत विज्ञापन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका सं0-12843/2024 में दिनांक 07-06-2024 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत B.E./ B.Tech (Civil) डिग्री धारक अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है-

"5. As the last date for submission of applications is stated to be 07.06.2024, there shall be an interim direction to respondent No.1 to accept the applications submitted by the petitioners and any other B.E/B.Tech (Civil) degree holders who aspire for direct recruitment to the post of Junior Engineer, without prejudice. They shall be permitted to participate in the selection process, pending further orders."

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन के क्रम में आयोग द्वारा B.E./ B.Tech (Civil) डिग्री धारक अभ्यर्थियों को एन0आई0सी की तकनीकी सहायता से विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गयी है। इच्छुक अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन में उल्लिखित निर्देशों का पालन करते हुए तथा B.E./ B.Tech (Civil) डिग्री धारक अभ्यर्थियों हेतु वेब पोर्टल पर उपलब्ध कराये गये विकल्प का चयन करते हुए आवेदन सबमिट कर सकते हैं। B.E./ B.Tech (Civil) डिग्री धारक अभ्यर्थियों को पदों की वरीयता सम्बन्धी विकल्प अभिलेख परीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा, जिसके सम्बन्ध में तत्समय सूचित किया जाएगा।

मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में आवेदन करने वाले सम्बन्धित अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि प्रश्नगत विज्ञापन हेतु उनका अभ्यर्थन मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 13-07-2024 तथा शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 20-07-2024 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त विज्ञापन इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। विज्ञापन के अन्य समस्त नियम/शर्तें वही रहेंगी, जो विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024 में उल्लिखित हैं।

26/06/2024

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
पिकप भवन, तृतीय तल, गोमती नगर,
लखनऊ-226010

संख्या-45 /08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024
लखनऊः दिनांक 24 जून, 2024

शुद्धि-पत्र-04

आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के 2819 पद (सामान्य चयन) व अवर अभियंता (सिविल) के 28 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 2847 पदों पर चयन हेतु दिनांक 07-03-2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था।

सूच्य है कि आयोग की सूचना संख्या-32/08/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 16-03-2024 द्वारा पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 368 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 801 पद (विशेष चयन) =1169 पदों एवं सूचना संख्या-42/08/विज्ञापन अनुभाग(ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 20-06-2024 द्वारा विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियन्ता (सिविल) के 354 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 06 पद (विशेष चयन) =360 पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए संशोधित कुल 4376 [3541 (सामान्य चयन) + 835 (विशेष चयन)] पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं।

सूच्य है कि आयोग के शुद्धि-पत्र संख्या-39/08/विज्ञापन अनुभाग (ग्यारह)/08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-06-2024 द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि को दिनांक 28-06-2024 तक विस्तारित किया गया है।

सूच्य है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, **अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08** के बिन्दु संख्या-04 में यह उल्लिखित है कि विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/ बढ़ सकती है। तदनुक्रम में पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त निम्नलिखित सारणी में उल्लिखित विभाग के नियंत्रणाधीन **अवर अभियन्ता (सिविल) के 198 पद (सामान्य चयन) + अवर अभियन्ता (सिविल) के 38 पद (विशेष चयन) = 236** पदों को भी उक्त विज्ञापन के अंतर्गत सम्मिलित किया जा रहा है। **इस प्रकार प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अब संशोधित कुल 4612 [3739 (सामान्य चयन) + 873 (विशेष चयन)] पदों पर चयन की कार्यवाही की जाएगी।**

1- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण-

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, वेतन बैण्ड: 9300-34800, ग्रेड पे- 4200	81	42	02	54	19	198	स्थायी

क्र. सं	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
02	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (विशेष चयन)	वेतनमान (न्यूनतम): 35400, वेतनमान (अधिकतम): 112400, वेतन बैण्ड: 9300-34800, ग्रेड पे- 4200	-	34	00	04	-	38	स्थायी
कुल पद				**81**	**76**	**02**	**58**	**19**	**236**	

2- प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत पूर्व में विज्ञापित पदों के अतिरिक्त विभागवार सम्मिलित किये जा रहे पदों की संख्या व उनके सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण-

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	03	--	04 (H.H.)	03 (O.A., O.L., B.L.)	--	--	09	39	03
02	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन)	00	--	01 (H.H.)	00 (O.A., O.L., B.L.)	--	--	01	07	00
कुल पद			**03**	---	**05**	**03**	---	---	**10**	**46**	**03**

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)

- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- B.L. (बी0एल0)- Both Legs Affected (दोनों पैर प्रभावित)

3- अर्हतायें-

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 (यथासंशोधित) के भाग-4 नियम-9 के अनुसार- No person shall be recruited to the Service unless he- (i) Has obtained a Diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any Board; and (ii) Has working knowledge of Hindi. **नोटः**- समकक्ष अर्हता के संबंध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग) 101-महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ- 226001 की सूचना संख्या-974/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 के साथ संलग्न APPENDIX-Q में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सूची संलग्न है।

4- आयु-

क्रं.सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
01	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद	अवर अभियंता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 यथासंशोधित में विहित प्राविधानों एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में विहित प्राविधानों के अनुसार सेवा में **अवर अभियन्ता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि **अभ्यर्थी ने उस वर्ष, जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जायें, उसके अगले वर्ष की पहली जनवरी को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो:** परन्तु, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।

5- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा **उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद सबोर्डिनेट इंजीनियरिंग (सिविल ओवर सीयर) सर्विस रेगुलेशन-1973 यथासंशोधित एवं आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग), लखनऊ की सूचना संख्या-974/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 तथा अपर आवास आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (प्रशासन अनुभाग), लखनऊ का पत्र संख्या-981/प्रशा0-एक-900/2016, दिनांक- 20-06-2024 के अनुसार की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।**

सूच्य है कि यह शुद्धि-पत्र आयोग के विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, दिनांक 07-03-2024 के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन शुल्क, चयन का आधार एवं विहित शर्तें व अनुदेश वहीं रहेगें, जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत प्रकाशित किये गये हैं।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024 के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा/ आवेदन सबमिट करने/ शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि निम्नवत हैं-

- ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **28-06-2024**
- शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **05-07-2024**

जो अभ्यर्थी प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष अपना आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके हैं एवं इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित किये जा रहे पदों पर आवेदन हेतु अर्ह एवं इच्छुक हैं, उन्हें पुनः आवेदन करने व शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु उनके द्वारा पूर्व में सबमिट किये गये आवेदन पत्र में ही आवेदन में संशोधन की निर्धारित प्रक्रिया (विज्ञापन का बिन्दु-3 अवलोकनीय) के अनुसार इस शुद्धि-पत्र में उल्लिखित पदों के सापेक्ष अपना विकल्प एवं समस्त आवेदित पदों के सापेक्ष संशोधित वरीयता अंकित किया जाना आवश्यक होगा।

यदि इस शुद्धि-पत्र के निर्गमन के पूर्व आवेदन अंतिम रूप से सबमिट कर चुके किसी अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार नवीन पदों हेतु विकल्प चयन एवं वरीयता का अंकन नहीं किया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का विचारण उसके द्वारा पूर्व में आवेदित पदों तथा वरीयता के अनुसार ही किया जाएगा। आयोग द्वारा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि के उपरान्त इस शुद्धि-पत्र के माध्यम से विज्ञापित नवीन पदों व उनकी वरीयता के सम्बन्ध में कोई भी प्रत्यावेदन अथवा दावा भविष्य में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

संलग्नक- यथोपरि।

24/06/2024

(अवनीश सक्सेना)

सचिव।

IS 15700:2018

संतोषजनक प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
(प्रशासन अनुभाग)
104—महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ—226001

भारतीय मानक ब्यूरो IS SQMS

संख्याः 974 /प्रशा0- एक- 900/2016 दिनांक 20-6-2024

सूचना

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम-1965 की धारा-95 की उपधारा-(1) के खण्ड-(च) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अपने अधिकार सीमा में, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में प्रभावी उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) में बाई-सरकुलेशन की प्रक्रिया के तहत निम्नवत संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

2 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद सबआर्डिनेट इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) बाई-सरकुलेशन की प्रक्रिया के तहत भाग-4 के विनियम-9(i) में निम्नवत संशोधन किया जाता है।

क्रम	पद	वर्तमान विनियम	संशोधित विनियम
1.	अवर अभियन्ता(सिविल)	"Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any board; and (ii) has working knowledge of Hindi.	Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Civil Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto **(as mentioned in Appendix Q)** by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.
2.	अवर अभियन्ता(विद्युत)	"Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Electric Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.	Technical Qualification etc. No person shall be recruited to the Service unless he- (i) has obtained a diploma in Electric Engineering recognized by any Board or any other qualification recognized as equivalent thereto **(as mentioned in Appendix Q)** by any Board; and (ii) has working knowledge of Hindi.

3. अत: उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद इंजीनियरिंग(सिविल/विद्युत ओवरसियर्स) सर्विस रेगुलेशन 1973(यथासंशोधित) के भाग-4 के विनियम-9(i) में आंशिक संशोधन के फलस्वरुप विनियमावली के शेष विनियम पूर्ववत् प्रभावी रहेंगे।

20-06-24

(डा0 बलकार सिंह)
आवास आयुक्त

APPENDIX-Q

(1) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठयक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:

Civil and Rural Engineering
Civil (SFS Mode)
Civil Draftsman
Civil Engineering
Civil Engineering and Planning
Civil Engineering (Building Services Engineering)
Civil Engineering (Construction Technology)
Civil Engineering (Construction)
Civil Engineering (Rural Engineering)
Civil Technology
Construction Engineering
Construction Technology
Construction Technology and Management
Geo informatics and Surveying Technology
Geographic Information System and Golobal Positioning System
Quantity Surveying and Construction Management
Survey Engineering
Transportation Engineering
Civil and Environmental Engineering
Civil (Public Health and Environment) Engineering
Civil Engineering (Environment and Pollution control)
Civil Engineering (Environmental Engineering)
Civil Engineering (Public Health Engineering)
Civil Environmental Engineering
Environmental Engineering
Water Resource Management
Civil Engineering (Water Resource and Management)
Water Technology and Health Science

(2) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठयक्रम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:

Electrical and Electronics (Power System)
Electrical and Electronics Engineering
Electrical and Instrumentation Engineering
Electrical and Mechanical Engineering
Electrical and Power Engineering
Electrical Energy Systems
Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
Electrical Engineering
Electrical Engineering (Electronics and Power)
Electrical Engineering (Industrial Control)
Electrical Machines
Electrical Power Systems
Power Systems Engineering
Electronics and Electrical Engineering

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या- 08-परीक्षा/2024

अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- **07-03-2024**
ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- **07-05-2024**
ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- **07-06-2024**
शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- **14-06-2024**

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 07-06-2024 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 07-06-2024 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात दिनांक 14-06-2024 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ के **विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08** के अंतर्गत विभिन्न **विभागों के नियंत्रणाधीन अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल) के 2819 पद (सामान्य चयन)** व **अवर अभियंता (सिविल) के 28 पद (विशेष चयन) सहित कुल रिक्त 2847 पदों** पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के स्कोर के आधार पर की जाएगी, अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test- PET-2023) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है। प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में वास्तविक (Absolute) स्कोर अथवा नार्मलाइज़्ड स्कोर में शून्य या उससे कम / नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट नहीं किया जाएगा।

परन्तु यह कि जब तक आयोग स्तर से जांच के अधीन (Under Investigation-UI) व औपबन्धिक (Provisional) श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबन्धिक रूप से अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्टिंग व चयन संबन्धी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जांच के परिणाम / निर्णय के अधीन होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना– इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली (Online Application System) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

2- आवेदन की प्रक्रिया-

अभ्यर्थी, आयोग की वेबसाइट **upsssc.gov.in** के **Homepage** पर **Live Advertisement Segment** के अंतर्गत **संबन्धित विज्ञापन पर क्लिक कर** उक्त विज्ञापन को **Download/View** कर सकते हैं। **अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र भरने के लिए समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण की जा सकती हैं।** आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश नीचे दिये जा रहे हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व आवेदन की प्रक्रिया (Application Process) को सावधानीपूर्वक पढ़कर भलीभांति समझ लें।

2.1- **अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारण करने पर ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें।**

2.2- **अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि (07-06-2024) तक सम्बन्धित आवश्यक अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हता/ अर्हताएं तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र धारित (Acquire/ Possess) करना अनिवार्य है।**

2.3- **आरक्षण / आयु सीमा में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन के परिशिष्ट में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की तिथि तक अथवा विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो, अवश्य प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें उक्त प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा।**

2.4- **जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, उन आवेदकों से अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 07-06-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19 टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। (कृपया विज्ञापन के प्रस्तर 11.14 का अवलोकन करने का कष्ट करें)।**

2.5- विज्ञापित पदों के लिए केवल एक ही आवेदन करना है।

आवेदन प्रक्रिया सम्बन्धी निर्देश

2.6- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण/ लॉगिन (Applicant Authentication/Login Through PET Registration Number)- अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 (Preliminary Eligibility Test-PET-2023) के रजिस्ट्रेशन नंबर के प्रमाणीकरण हेतु दो विकल्प उपलब्ध कराये गये हैं-

I.	**व्यक्तिगत विवरण के साथ (Through Personal Details)**-अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण (Domicile) व श्रेणी (Category) सम्बन्धी विवरण भरकर आवेदन हेतु लॉगिन कर सकते हैं।

II.	**ओ0टी0पी0 के माध्यम से (Through O.T.P.)**- अभ्यर्थी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ ईमेल पर प्रेषित किये गये O.T.P. के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं।

2.7 आवेदन (Application)-

I.	**लॉगिन करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को विज्ञापित किये गये पदों का विवरण प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं उन पद/ पदों को Select करने के उपरान्त स्क्रीन पर नीचे प्रदर्शित Proceed बटन को Click करेंगे। अभ्यर्थी जिन पद/ पदों को Select नहीं करेंगे, उक्त पद हेतु उनका दावा स्वीकार/ मान्य नहीं होगा।**

नोट- अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे विज्ञापित पदों हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) व अन्य अर्हताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं। अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित निर्धारित अर्हता एवं शैक्षिक योग्यता धारित करने पर ही सम्बन्धित पद/ पदों को Select करते हुए आवेदन करें।

II.	Proceed बटन को Click करने के उपरान्त इस भाग में अभ्यर्थी को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज की गयी अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, EWS, क्षैतिज आरक्षण से संबन्धित विवरण, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल आदि विवरण स्वतः प्रदर्शित होंगे।

III.	इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा Select किये गये पद/ पदों के सम्बन्ध में विज्ञापन में प्रकाशित अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक) से सम्बन्धित विवरण भरना होगा। अभ्यर्थी द्वारा विभिन्न आवेदित पदों के सापेक्ष शैक्षिक योग्यता धारण करने के संबन्ध में Yes/No विकल्प का चयन करने के उपरान्त बोर्ड/संस्था/ विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट/ रोल नं0, अर्हता सम्बन्धी प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि तथा प्राप्तांक संबन्धी विवरण आदि अंकित किया जाना होगा।

IV.	अभ्यर्थी को उपर्युक्त सूचनाएं भरने के पश्चात रजिस्ट्रेशन पेज पर नीचे की ओर **"Enter Verification Code"** में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात **"सबमिट"** बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही "**अभ्यर्थी का आवेदन पत्र**" प्रदर्शित होगा, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित अन्य विवरण होगा। अभ्यर्थी इसकी एक प्रति मुद्रित कर अपने पास सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत करना होगा।

**2.8	फोटो तथा हस्ताक्षर (Photo and Signature)-** इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में अपलोड की गयी फोटो तथा हस्ताक्षर स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी द्वारा इसमें कोई संशोधन अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।अभ्यर्थी, फोटो तथा हस्ताक्षर View करने के उपरान्त **"Continue"** बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

2.9 अन्य विवरण (Other Details)- इस भाग में अभ्यर्थी को Select किये गये पदों के सम्बन्ध में वरीयता को अंकित करना होगा तथा अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) के संबन्ध में Yes/ No विकल्प को चुनना होगा। इस भाग में अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज किया गया स्थायी व पत्राचार का पता भी स्वत: प्रदर्शित होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी से यह अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो सभी बिन्दुओं को Tick करते हुए नीचे दिये गये वेरीफिकेशन कोड को दर्ज कर **Save & Proceed** करें।

अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में दर्ज विवरण तथा इस आवेदन के समय अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हता संबन्धी अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों/ विवरणों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। सहमति की दशा में अभ्यर्थी द्वारा **Proceed to Payment of Fee & Final Submission** पर क्लिक कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण की जानी होगी।

2.10- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिशन (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

I- अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान **Credit card/Debit card, Internet Banking, UPI या SBI** के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। **अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता।** शुल्क का सफल भुगतान होते ही **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate** होगी जिसमें **Payment** का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाई तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) को प्रिंट कर सकता है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ Proceed For Final Submission बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से Submit करते हुए उसका एक Printout भी ले सकता है।**

II- यदि अभ्यर्थी द्वारा **Credit card/Debit card, Internet Banking** द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी **Homepage** पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।

III- ई–चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।

IV- अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। **अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।**

V- यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।

VI. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त के अतिरिक्त **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

VII. अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भी लॉगिन कर शुल्क का स्टेटस प्राप्त कर सकते हैं। शुल्क का स्टेटस Pending होने पर अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से आवश्यक विवरण भरने के उपरान्त तुरन्त फार्म का अगला भाग पूर्ण कर सकते हैं।

VIII - अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।

IX. आवेदन शुल्क – अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गयी तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये जाने की दशा में शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा।

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित/ सामान्य	00	25.00	25.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	00	25.00	25.00
3	अनुसूचित जाति	00	25.00	25.00
4	अनुसूचित जनजाति	00	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- **मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क (जैसा कि आयोग/शासन द्वारा निर्धारित किया जाए) का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा।**

2.11- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे शुल्क जमा करने के उपरान्त अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करते हुए उसका प्रिन्ट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थी **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से लॉगिन कर अपना आवेदन पत्र प्रिंट कर सकते हैं। **अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **"Update Your Transaction ID by Double Verification"** पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

3- आवेदन पत्र में संशोधन

I. **अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं।** इसके लिए अभ्यर्थी को वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Applicant's Dashboard** पर जाकर प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के उपरान्त अभ्यर्थी को संबन्धित विज्ञापन के सामने प्रदर्शित **Modify Application** बटन पर क्लिक कर वेरीफिकेशन कोड दर्ज करना होगा। तदुपरान्त अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर/ Email पर एक OTP (One Time Password) जायेगा। इस OTP को सबमिट करने पर अभ्यर्थी का भरा हुआ फार्म प्रदर्शित होगा।

II. अभ्यर्थी द्वारा अपने आवदेन पत्र के निम्नलिखित विवरणों को ही संशोधित किया जा सकता है। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी को आवेदन में किसी अन्य विवरण को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी-

a. नाम में वर्तनी की गलती।

b. पिता/ पति के नाम में वर्तनी की गलती।

c. पत्राचार का पता।

d. अन्य व्यक्तिगत विवरण जैसे- E.W.S. एवं क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी (D.F.F, Ex. Service Man, P.H., उत्कृष्ट खिलाड़ी आदि)।

e. जाति की श्रेणी (सामान्य/अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)।

f. लिंग (जेन्डर)।

g. आवेदन में अनिवार्य/अधिमानी अर्हता सम्बन्धी दर्ज किया गया विवरण।

h. अभ्यर्थी आवेदन के समय Select किये गये पद/ पदों में परिवर्तन कर सकता है एवं उनकी वरीयता भी परिवर्तित कर सकता है।

विशेष नोट- *उत्तर प्रदेश शासन के दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-3/2021 /324/2021/65-3-2021-78/99 टी0सी0, दिनांक 30-07-2021 एवं शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022/File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में दिव्यांगजन को समूह-क, ख, ग एवं घ में 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु पदों का पुनर्चिन्हांकन किया गया है। उक्त के क्रम में दिव्यांग अभ्यर्थियों को अपनी दिव्यांगता की श्रेणी के अनुसार आवदेन पत्र में दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी को चिन्हांकित करते हुए अपडेट किया जाना अनिवार्य है।*

III. आवेदन पत्र में अनुमन्य संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 14-06-2024 तक ही किया जा सकता है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु पृथक से कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4- पदों का विवरण-

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1/2020/1602/47-का-3-2019-13/7/2006, दिनांक 28-01-2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित/ उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः सम्बन्धित विभाग की है।

इस विज्ञापन में कुल विज्ञापित पदों व उनके सापेक्ष लम्बवत व क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत पदों की संख्या व विभिन्न श्रेणियों/ उपश्रेणियों का उल्लेख सम्बन्धित विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए अधियाचन में दिए गए विवरण के अनुसार ही किया गया है।

सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के क्षैतिज व लम्बवत आरक्षण सम्बन्धी नवीनतम अधिनियमों/अध्यादेशों / नियमों/ शासनादेशों में निर्धारित /नीति निर्देशों के अनुरूप अनारक्षित/आरक्षित रिक्तियों की संख्या में संशोधन /परिवर्तन हो सकता है तथा विज्ञापित रिक्तियों की कुल व श्रेणीवार संख्या घट/बढ़ सकती है।

सारिणी-1

कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लम्बवत आरक्षण का विवरण

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
01	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल)	9300-34800, ग्रेड पे रू0-4200 लेवल-6	513	144	03	323	109	1092	स्थायी/ अस्थायी
02	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)	वेतन बैण्ड-2/ वेतनमान-9300-34800/ ग्रेड पे 4200 पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स का लेवल-6 मूल वेतन 35400	421	87	08	173	76	765	स्थायी
03	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	9300-34800/ ग्रेड-पे रू 4200	279	145	13	187	69	693	अस्थायी

क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	वेतन बैन्ड/ ग्रेड-पे	अधियाचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण						अभ्युक्ति
				अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए (E.W.S.)	कुल पद	स्थायी/ अस्थायी
04	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल)	लेवल-6, वेतनमान-9300-34800	59	31	03	39	14	146	अस्थायी
05	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल)	छठा वेतनमान-9300-34800/ ग्रेड पे 4200 सातवां वेतनमान लेवल-6 (35400-112400)	39	20	01	27	09	96	स्थायी
06	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल)	वेतनबैण्ड-2 (रु0 9300-34800), ग्रेड वेतन रू0 4200/-(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6)	13	07	01	04	02	27	स्थायी
07	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल) (विशेष चयन)	लेवल-6, वेतनमान-9300-34800	00	10	02	11	00	23	अस्थायी
08	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल) (विशेष चयन)	वेतनबैण्ड-2 (रु0 9300-34800), ग्रेड वेतन रू0 4200/-(पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-6)	00	03	00	02	00	05	स्थायी
कुल पद				**1324**	**447**	**31**	**766**	**279**	**2847**	

सारिणी-2

कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण

क्षैतिज आरक्षण का विवरण												
क्र. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	स्व0 संग्राम सेनानी के आश्रित	दिव्यांगजन / पद संख्या व विभाग द्वारा चिन्हांकित उप श्रेणियां					सैन्य वियोजित /भूतपूर्व सैनिक	महिला	उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु
				(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	(ग) प्रमस्तिष्कीय अंगघात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीड़ित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी निःशक्तताः	(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक निःशक्तताः, विशिष्ट अधिगम निःशक्तता और मानसिक अस्वस्थताः	(ड़) खण्ड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु निःशक्तताः, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक निःशक्तताः के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है (MD)			
01	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल)	21	--	33 (H.H.)	33 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	54	218	21
02	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)	15	11 (L.V.)	10 (H.H.)	09 (O.A., O.L., Dw., A.A.V.)	--	--	38	153	15
03	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	13	14 (L.V.)	13 (H.H.)	--	--	--	34	138	13
04	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल)	02	02 (L.V.)	02 (H.H.)	01 (O.A., O.L., L.C., Dw., A.A.V.)	--	--	07	29	02
05	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल)	01	01 (B., L.V.)	01 (D., H.H.)	01 (O.A., O.L.)	--	00 (M.D.)	04	19	01
06	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल)	00	--	--	--	--	--	01	05	00
07	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल) (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	01	04	00
08	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल) (विशेष चयन)	00	--	--	--	--	--	00	01	00
कुल पद			**52**	**28**	**59**	**44**	**--**	**00**	**139**	**567**	**52**

दिव्यांगता की श्रेणी/ उपश्रेणी से सम्बन्धित विवरण

- B. (बी)- Blind (दृष्टिहीनता)
- L.V. (एल0वी0)-Low Vision (कम दृष्टि)
- D. (डी0)- Deaf (बधिर)
- H.H. (एच0एच0)- Hard of Hearing (श्रवण शक्ति में ह्रास)
- O.A. (ओ0ए0)- One Arm Affected (एक हाथ प्रभावित)
- O.L. (ओ0एल0)- One Leg Affected (एक पैर प्रभावित)
- L.C. (एल0सी0)- Leprosy Cured (रोगमुक्त कुष्ठ)
- Dw. (डीडब्लू0)- Dwarfism (बौनापन)
- A.A.V. (ए0ए0वी0)- Acid Attack Victims (एसिड आक्रमण पीड़ित)
- M.D. (एम0डी0)- Multiple Disabilities (बहुदिव्यांगता)

5- आरक्षण सम्बन्धी प्रावधान –

5.1- उ० प्र० की अनुसूचित जातियों, उ० प्र० की अनुसूचित जनजातियों, उ० प्र० के अन्य पिछड़े वर्गो एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों/ विभाग से प्राप्त अधियाचन के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.2- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section- EWS) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (EWS) अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के आवेदकों द्वारा उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों (Dependant of Freedom Fighter-DFF) तथा भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

5.4- उत्तर प्रदेश शासन दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के **शासनादेश संख्या-3/2021/324/2021/65-3-2021/78/99 टी०सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021** एवं **शासनादेश संख्या-02/2022/I/246279/2022 /File No.65-3099/58/2022-3, दिनांक 09-12-2022** के प्रावधानों के अनुसार **दिव्यांगता** की चिन्हांकित श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु निर्धारित आरक्षण अनुमन्य होगा।

5.5- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थाओं के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को उन श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है। **उ० प्र० की महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।**

5.6- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 सं0-02/2022/3/47/का-2/2022 की अधिसूचना संख्या-3/47/का-2/2022, दिनांक 07-01-2022 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के प्राविधानानुसार **उत्कृष्ट खिलाड़ियों (Outstanding Sportsperson)** हेतु 02 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य होगा।

6 - अर्हतायें-

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
01	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-8 के अनुसार सेवा में **अवर अभियंता, (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएं होनी आवश्यक हैं- **(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो।** **(दो) प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश से सिविल अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।** **नोटः- समकक्ष अर्हता के संबंध में प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को सम्बोधित विशेष सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन का पत्र संख्या- I/488968/2024, दिनांक- 07-02-2024 विज्ञापन के साथ संलग्न है।** अधिमानी अर्हता- उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा, जिसनेः- **1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
02	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)-** उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिक सेवा नियमावली, 1984 के भाग-4 नियम-8 के अनुसार सेवा में सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियन्ता) के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखता हो- **अधिमानी अर्हता-** उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिक सेवा नियमावली, 1984 के भाग-4 नियम-9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **1-** प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या **2-** राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
03	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)- उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 यथासंशोधित (कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या- 779/अ-2-2/2161-0041/20, दिनांक- 21-12-2020 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 9/2023/181/छिहत्तर-1-2023-02सम/2023, दिनांक- 01-02-2023 द्वारा संसूचित) के भाग-4 के विनियम-11 के अनुसार सेवा में **अवर अभियंता (सिविल)** के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों की भर्ती की जायेगी, जिनके पास निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता में कोई एक होः- **(क) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा।** **(ख) राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा जारी किया गया पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में 3 साल के कोर्स का डिप्लोमा।** **(ग) अन्य अर्हतायें जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा मद संख्या- (क) एवं (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाये।** **(घ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण पत्र।** **नोट-1- समकक्षता के विषय में मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ के पत्र संख्या- 579/अ-2-2/015-001(ग्रामीण)/23, दिनांक- 27-12-2023 तथा सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्र संख्या- प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2023/6507, दिनांक- 23-12-2023 विज्ञापन के साथ संलग्न है।** **अधिमानी अर्हता**- उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 यथासंशोधित (कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या- 779/अ-2-2/2161-0041/20, दिनांक- 21-12-2020 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 9/2023/181/छिहत्तर-1-2023-02सम/2023, दिनांक 01-02-2023 द्वारा संसूचित) के भाग-4 के विनियम-12 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थी को अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमानता दी जाएगी यदिः **1- उसने प्रादेशिक सेवा में 02 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो या** **2- उसने राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।**
04	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्स सेवानियमावली-1980 (यथासंशोधित) एवं विभाग के कार्यालयादेश- 120/का0-1/बोर्ड/रानिनि/2024, दिनांक- 03-02-2024 के अनुसार सेवा में **अवर अभियंता, (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी **डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग (सिविल) की शैक्षिक अर्हता रखता हो।**
05	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड सेवा नियमावली 2006 (यथासंशोधित) एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के पत्र संख्या-214/एस0टी0-29/मै0प0 कैम्प/2018, दिनांक 02-11-2018 तथा पत्र संख्या-319ईएसबी/659एसबीसी/2023, दिनांक- 17-04-2023 के अनुसार सेवा में **अवर अभियंता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए **अभ्यर्थी के पास सिविल अभियंत्रण में डिप्लोमा होना आवश्यक है।**
06	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	**अनिवार्य अर्हता (शैक्षिक)**- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली- 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2003) एवं विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3243/पी0सी0एल0/मुख्यालय/S-25, दिनांक- 28-11-2015 के अनुसार सेवा में **अवर अभियन्ता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित में से कोई एक अर्हता होनी आवश्यक है- **1- भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या संस्था द्वारा प्रदत्त सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा, या**

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	अर्हतायें
			2- उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त सिविल अभियन्त्रण में डिप्लोमा, या **3- अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा सिविल अभियंत्रण में प्रदत्त राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र या,** **4- प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सिविल या ग्रामीण अभियंत्रण में प्रदत्त 03 वर्ष का डिप्लोमा।** <u>अधिमानी अर्हता</u>- उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली- 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2003) एवं विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3243/पी0सी0एल0/मुख्यालय/S-25, दिनांक- 28-11-2015 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा जिसने- **1- प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या** **2- राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।** **3- प्रशिक्षणार्थी के रूप में एक वर्ष का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो।**

<u>7- आयु –</u>

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
01	उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	अवर अभियंता (सिविल)	उत्तर प्रदेश, लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014 के भाग-4 के नियम-10 के अनुसार **अवर अभियंता, (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायें, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाये।
02	ग्रामीण अभियंत्रण विभाग	सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)	उत्तर प्रदेश ग्रामीण अभियंत्रण विभाग अधीनस्थ अभियांत्रिक सेवा नियमावली, 1984 के भाग-4 नियम-10 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस वर्ष भर्ती की जानी हो, उस वर्ष की पहली जनवरी को यदि पद पहली जनवरी से 30 जून की अवधि में विज्ञापित किये जायें और पहली जुलाई को, यदि पद पहली जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि में विज्ञापित किये जायें, 18 वर्ष की हो जानी चाहिए। उ0प्र0 सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (10 वां संशोधन) नियमावली, 2012, दिनांक- 06 जून, 2012 के अनुसार भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।
03	उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण)	जूनियर इंजीनियर (सिविल)	उत्तर प्रदेश जल निगम अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1979 यथासंशोधित (कार्यालय मुख्य अभियन्ता (अ-2-2), उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ का कार्यालय ज्ञाप संख्या- 779/अ-2-2/2161-0041/20, दिनांक- 21-12-2020 एवं नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या- 9/2023/181/छिहत्तर-1-2023-02सम/2023, दिनांक- 01-02-2023 द्वारा संसूचित) के भाग-4 के विनियम-8(1) के अनुसार सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें रिक्तियां विज्ञापित की जाये, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों व ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

क्रं. सं.	विभाग का नाम	पदनाम	आयु-सीमा
04	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड	अवर अभियंता, (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 इंजीनियर्स एण्ड आर्किटेक्स सेवानियमावली-1980 (यथासंशोधित) के CHAPTER-II के भाग 9(1) के अनुसार A candidate for direct recruitment to a post must have attained the age of 18 years and must not have attained such maximum age as may be fixed by the competent Authority from time to time, subject to directions, if any, of the Board. उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 दिनांक- 6 जून, 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। **नियमावली एवं शासनादेश में विहित उक्त प्राविधानों के अनुसार** अनुसार **अवर अभियंता, (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को जिसमें रिक्तियाँ आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित की जायं, 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो: 1- Provided that the upper age limit shall, in the case of candidates already working in the Nigam as regular employees, be greater by 5 years, 2- Provided further that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories as may be specified by the Competent Authority, shall be greater by such number of years as may be notified in the Government directive in this behalf and, where there are no such directives, shall be greater by such number of years, not exceeding five years as may be directed by the Board or so authorized by the Board or the Competent Authority.
05	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0	अवर अभियंता (सिविल)	उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड सेवा नियमावली 2006 (यथासंशोधित) एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के पत्र संख्या-214/एस0टी0-29/मै0प0 कैम्प/2018, दिनांक 02-11-2018 के अनुसार सेवा में सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि उस कैलेण्डर वर्ष, जिसमें पद विज्ञापित किया गया हो, कि पहली जनवरी को अभ्यर्थी ने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसी विनिर्दिष्ट की जायें, उच्चतर आयुसीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी इस निमित्त सरकारी निदेश में अधिसूचित की जायें और जहां ऐसा कोई निदेश न हो तो उतने वर्ष, जो 05 वर्ष से अधिक न हो जैसा कि बोर्ड द्वारा या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निदेशित की गयी हो।
06	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड	अवर अभियन्ता (सिविल) (सामान्य चयन/ विशेष चयन)	उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सिविल अभियन्ता (अधीनस्थ) सेवा नियमावली- 1992 यथासंशोधित (प्रथम संशोधन, 2003) के अनुसार सेवा में **अवर अभियन्ता (सिविल)** के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेण्डर वर्ष की, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिए रिक्तियाँ विज्ञप्ति की जाय, पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और उत्तर प्रदेश सेवाओं में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियमावली, 2012 दिनांक- 6 जून, 2012 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

8- चयन का आधार –

प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-32/2015/857/47-का-2015-13/19/2015, दिनांक 11-05-2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह-ग के पदों के लिए सीधी भर्ती (रीति एवं प्रकिया) नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक- 31 अगस्त, 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बन्द किया जाना) नियमावली, 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक 20-11-2020 द्वारा अपनायी गयी नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार (जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुआ हो) तथा **विज्ञापित पदों की संगत सेवानियमावलियों एवं सुसंगत शासनादेशों, जिनका उल्लेख विज्ञापन के प्रस्तर-06 एवं 07 में अंकित तालिकाओं में किया गया है, के आधार पर की जाएगी, जिसके अनुसार चयन का आधार लिखित परीक्षा है।**

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत **अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)** के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के सम्बन्ध में यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

10-लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट -

विज्ञापन संख्या-08-परीक्षा/2024, अवर अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा (प्रा0अ0प0-2023)/08 के अंतर्गत **अवर अभियंता (सिविल)/ सहायक विकास अधिकारी (अवर अभियंता, सिविल)** के रिक्त पदों पर चयन के लिए **लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग उनके प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों, अंतिम कटऑफ अंक/परसेंटाइल स्कोर (दशमलव के 02 स्थान तक) धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए, को मुख्य परीक्षा हेतु शार्टलिस्ट किया जाएगा।**

यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों/ दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नार्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी।

11-अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

11.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

11.02- एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, अनुमन्य होगी।

11.03- अभ्यर्थी, जो उ०प्र० राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे।

11.04- भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) (जो आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 07-06-2024 तक सेवा निवृत्त हो चुके हों) को आरक्षण उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथा संशोधित) व अद्यतन सुसंगत नियमावली/शासनादेशों के प्राविधानानुसार अनुमन्य होगा।

11.05- उत्तर प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की समूह-ग के पदों पर सीधी भर्ती) नियमावली-2022 के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

11.06- उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री, स्वयं उसे अथवा उसके परिवार को सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करने की दशा में ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। ऐसी महिला अभ्यर्थी, जिसके जाति प्रमाण पत्र में उसके उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, को इस आरक्षण का लाभ उसके पिता पक्ष की ओर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही अनुमन्य होगा।

11.07- ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रित होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 यथा संशोधित के अनुक्रम में जारी शासनादेश दिनांक 21 अप्रैल, 2015 के अनुरूप प्रमाण पत्र उपलब्ध हो।

11.08- ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक रूप से दिव्यांग होने का दावा करते हैं, उन्हे यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके पास उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक विभाग-2 के शासनादेश सं0-5/2022/18/1/2008/47/का-2/2022, दिनांक 18-04-2022 द्वारा निर्धारित अद्यतन प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो तथा यह कि उक्त प्रमाण पत्र में अभ्यर्थी की दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत स्पष्ट रूप से उल्लिखित हो।

11.09- जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत हैं वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें जिसे आयोग द्वारा मांगे जाने पर यथानिर्दिष्ट विधि से प्रस्तुत करना होगा।

11.10- राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र०शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या-2-ई.एम. /2001-का-4-2013,दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।

11.11- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.12- उत्तर प्रदेश के स्वंतत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा भूतपूर्व सैनिक कोटे के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, दिव्यांग तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण अधिनियम 1993 यथा संशोधित में विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे सम्बन्धित हैं।

11.13- महिला आरक्षण के अंतर्गत महिलाओं को शासनादेश संख्या-18/1/99/का-2/99, दिनांक 26-02-1999, यथासंशोधित कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-39 रिट/का-2 /2019, दिनांक 26 जून, 2019 में विहित व्यवस्थायों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। महिलाओं को प्रदत्त उक्त आरक्षण मा० उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-01-2019 के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दायर विशेष अपील (डी) संख्या-475/2019 में मा० न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा। उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लम्बवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जायेगा जिनसे वे सम्बंधित है, इस हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

11.14- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S) के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी, जिसके परिवार की समस्त स्रोतों (वेतन , कृषि, व्यापार व व्यवसाय आदि) से आय आवेदन करने के वर्ष के पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय रुपए 08 लाख से कम है और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (E.W.S) को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने सम्बन्धी उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1577-79-वि-1-20-1(क)4-20, दिनांक 31 अगस्त, 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2020 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं, को 10% आरक्षण (E.W.S) अनुमन्य होगा। जिन अभ्यर्थियों द्वारा EWS श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया जा रहा है, उनसे अपेक्षित है कि वह आवेदन करने से पूर्व दिनांक 01-04-2024 से 07-06-2024 (आवेदन की अंतिम तिथि) के मध्य निर्गत EWS प्रमाण पत्र, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 की आय पर आधारित हो तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य हो, को धारित करना सुनिश्चित करें। इस श्रेणी के आवेदकों को उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-3/2019/4/1/2002/का-2/19टी.सी.-II, दिनांक 14-03-2019 द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

11.15- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

11.16- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति को मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

11.17- परीक्षा की तिथि, समय तथा परीक्षा केन्द्र आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।

11.18- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.19- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.20- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और उसके द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक अर्हता धारित नहीं की जाती थी अथवा तत्सम्बन्धित प्रमाण पत्र धारित नहीं किया जाता था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उक्त स्थिति में उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

11.21- कदाशय अर्थात परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

11.22- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नही करता है । सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती है अत: सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।

11.23- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।

11.24- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।

11.25- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट http://upsssc.gov.in के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।

11.26- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।

11.27- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

11.28- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस संबन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।

07/03/2019

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।

परिशिष्ट

<u>उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र</u>

जिला.................. जारी

दिनांक...............

तहसील................

आवेदन क्रमांक..........

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील..........जिला..................उत्तर प्रदेश राज्य की........................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

............................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.......................... ग्राम- तहसील...................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................

पद.....................

स्थान.................

दिनांक................

सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

डिजिटल हस्ताक्षरित...........

....

दिनांक................................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.......................... जारी दिनांक..............

तहसील........................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम.............................. निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की.......................... जाति के व्यक्ति हैं, जिसे संविधान अनुसूचित जाति आदेश, १९५० (जैसा कि समय समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश, १९६७ के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के प्रारूप मे मान्यता दी गयी है।

...........................तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के......................... ग्राम-तहसील..................... में सामान्यता रहता हैं

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................ सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

पद................................ डिजिटल हस्ताक्षरित...........

स्थान............................ ....

दिनांक............................ दिनांक..............................

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश के पिछडी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला.......................... जारी

दिनांक..............

तहसील......................

आवेदन क्रमांक..............

प्रमाण पत्र क्रमांक...........

प्रमाणित किया जाता है कि.............. पुत्र/पुत्री................ माता का नाम............................ निवासी................ग्राम............तहसील.........जिला.................उत्तर प्रदेश राज्य की.......................... जाति के व्यक्ति हैं, यह उत्तर प्रदेश लेक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अंतर्गत मान्यता प्राप्त हैं।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि.......................... पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) अनुसूचित जातियों, और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एंव शासनादेश संख्या २२/१६/९२ टी० सी०-III, दिनांक २० अक्टूबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं हैं। इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षो की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है।

क्यू आर कोड

जारी कर्ता केन्द्र................ सक्षम अधिकारी/ तहसीलदार

पद................................ डिजिटल हस्ताक्षरित...........

स्थान............................ ....

दिनांक........................... दिनांक..............................

कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/ 2019/ 4/ 1/ 2002/ का-2/ 19टी.सी.-II, दिनांक 14 मार्च, 2019 का संलग्नक

(प्रपत्र- I)

उत्तर प्रदेश सरकार

कार्यालय का नाम...

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या-.......................... दिनांक-................................

वित्तीय वर्ष .... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... पुत्र/ पति/ पुत्री .... ग्राम/ कस्बा.. पोस्ट ऑफिस .... थाना .... तहसील .... जिला .... राज्य .... पिन कोड........................... के स्थायी निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष .... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रूपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं हैः-

I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ।
II. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
III. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी .... जाति .... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो के रूप में अधिसूचित नहीं है।

आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्रमाणित फाटोग्राफ

हस्ताक्षर .... (कार्यालय का मुहर सहित)

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती---निवासी ग्राम-------- ------------------------------------तहसील-------------------------------------नगर------------------------- जिला-----------------------------------"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) --------------------------------------पुत्र/पुत्री/पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ------------------------------- --के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनाँक-

हस्ताक्षर----------------

पूरा नाम-----------------

पदनाम------------------

मुहर---------------------

जिलाधिकारी (सील)

दिव्यांगता प्रमाण पत्र सम्बन्धी प्रारूप

Form-II
Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. ______________________ son/wife/daughter of Shri ______________ Date of Birth (DD/MM/YY) __________ Age _____ years, male/female ______________ registration No. __________ permanent resident of House No. _________ Ward/Village/Street ______________ Post Office ____________ District _________ State ______________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is ______________

(A) he/she has _______ % (in figure) ______________ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her ______ (part of body) as per guidelines (…………..number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

3. Signature and seal of the Medical Authority.

(Dr. ______________)	(Dr. ______________)	(Dr. ______________)
Member Medical Board with seal	Member Medical Board with seal	Chairperson Medical Board with seal

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form - III

Certificate of Disability

(In cases of multiple disabilities)

(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ______________________ son/wife/daughter of Shri ______________________ Date of Birth (DD/MM/YY) __________ Age _____ years, male/female ____________.

Registration No. ____________ permanent resident of House No. __________ Ward/Village/Street __________ Post Office __________ District __________ State __________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (..............number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological Conditions			

17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.........number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows : -
In figures : - ------------------ percent
In words :- -- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.
3. Reassessment of disability is :
   (i) not necessary,
   or
   (ii) is recommended/after .... years .... months, and therefore this certificate shall be valid till ----- ----- ------

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4.The applicant has submitted the following document as proof of residence:-

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

Form –IV
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms II and III)
(Name and Address of the Medical Authority/Board issuing the Certificate)

Recent passport size attested photograph (Showing face only) of the person with disability.

Certificate No. Date:

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt/Kum________________ son/wife/daughter of Shri ________________ Date of Birth (DD/MM/YY)_____ _____ _____ Age ________ years, male/female __________ Registration No. ______________ permanent resident of House No. __________ Ward/Village/Street ______________ Post Office ______________ District ______________ State ______________, whose photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of ______________ disability. His/her extent of percentage physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (........number and date of issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:-

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	#		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after ________ years ______________ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) ____ ____ ____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of the Chairperson

Countersigned by the
Chief Medical Officer
(with seal)

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued

प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लोक निर्माण अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक 07/02/2024

विषय- उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता (सिविल/विद्युत/यॉत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली,2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता के समकक्ष अर्हता के संबंध में।

महोदय,

कृपया कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-849/का-2/2021, दिनांक 07.10.2021 द्वारा भर्ती के नियमों में विहित अर्हता के साथ-साथ समकक्ष अर्हता को भी स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के उपरान्त चयन हेतु अधियाचन प्रेषित किये जाने के निर्देश विभागों को दिये गये हैं। इसी क्रम में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता के पत्र संख्या-6061 व्यघ/4184 व्यघ/2021, दिनांक 06.12.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियंता (सिविल/विद्युत/यॉत्रिक)(समूह 'ग') सेवा नियमावली,2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (एक) व (दो) में उल्लिखित शैक्षिक अर्हता की समकक्षता निर्धारित कराने के संबंध में शासन स्तर से दिशा-निर्देश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- **उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता(सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली, 2014" के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या-08 शैक्षिक अर्हता में निम्नवत् प्राविधान है:** .

(एक) माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण किया हो ।

(दो)प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रकरण में सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज के पत्रांक-परिषद-9/989 दिनांक 29.12.2022 **(छाया प्रति संलग्न)** के आधार पर माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक)(समूह 'ग')

सेवा नियमावली, 2014 के भाग चार-अर्हताएं के बिन्दु संख्या-08(एक) में उल्लिखित "माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त परीक्षा" के रूप में निम्नलिखित परीक्षायें मान्य होंगी :-

1- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन (आन्ध्र प्रदेश)

2- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, गुवाहाटी, असम।

3- बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, पटना।

4- सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली।

5- छत्तीसगढ़ बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, रायपुर।

6- काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एग्जामिनेशन, नई दिल्ली।

7- दयालबाग एजूकेशन इस्ट्टीयूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी) आगरा।

8- गोवा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, गोवा।

9- गुजराज सेकेण्डरी एण्ड हायर सेकेण्डरी एजूकेशन बोर्ड, गांधीनगर गुजरात।

10- बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन हरियाणा, भिवानी।

11- हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, धर्मशाला, कांगड़ा।

12- जे० एण्ड के० स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, जम्मू।

13- झारखण्ड एकेण्डमी काउन्सिल, रॉची।

14- कर्नाटका सकेण्डरी एजूकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड, बंगलौर।

15- केरला बोर्ड ऑफ हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, तिरूवनन्तपुरम।

16- महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी एजूकेशन, पुणे।

17- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन मध्य प्रदेश, भोपाल।

18- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन, मणिपुर, इम्फाल।

19- मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, मेघालय।

20- मिजोरम बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन, ऐजाल।

21- नागालैण्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजूकेशन, कोहिमा।

22- बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, उड़ीसा, कटक।

23- पंजाब स्कूल एजूकेशन बोर्ड, मोहाली।

24- बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन राजस्थान, अजमेर।

25- स्टेट बोर्ड आफ स्कूल एग्जामिनेशन, (सेकेण्डरी) एण्ड बोर्ड आफ हायर सेकेण्डरी, एक्जामिनेशन, तमिलनाडू।

26- त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, अगरतला।

27- वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजूकेशन, कोलकता।

28- बोर्ड आफ स्कूल एजूकेशन उत्तराखण्ड, रामनगर, नैनीताल।

29- उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लखनऊ द्वारा संचालित मौलवी परीक्षा, अरबी और मुंशी परीक्षा फारसी।

30- माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा संचालित पूर्व मध्यमा अथवा कोई अन्य उच्चतर परीक्षा।

31- राष्ट्रीय ओपेन स्कूल नई दिल्ली द्वारा संचालित सेकेण्डरी (माध्यमिक) परीक्षा इस प्रतिबन्ध के साथ कि यह परीक्षा कम से कम छः विषयों में उत्तीर्ण की गयी हो।

32- भारत में विधि द्वारा स्थापित ऐसे परीक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा संचालित हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन) अथवा इसके समकक्ष संचालित परीक्षायें जिसके सम्बन्ध में सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन का समाधान हो गया है, परिषद की हाईस्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य होंगी।

33- ऐसे छात्र/छात्रायें जिन्होने कक्षा-8 की परीक्षा उत्तीण करने के उपरान्त मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से 02 वर्षीय या उससे अधिक अवधि का औद्योगिक प्रशिक्षण पूर्ण कर राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (एन0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राष्ट्रीय व यावसाय प्रमाण-पत्र (एन0टी0सी0) अथवा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश (एस0सी0वी0टी0) द्वारा जारी राज्य स्तरीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, उन्हें माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित हाईस्कूल (कक्षा-10) की हिन्दी विषय की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण करने की दशा में परिषद की हाईस्कूल (कक्षा-10) के समकक्ष माना जायेगा। (विज्ञप्ति संख्या: परिषद-9/1103 दिनांक 18.03.16 द्वारा जोड़ा गया।

नोट- आई0टी0आई0 के अतिरिक्त अन्य हाईस्कूल (कक्षा-10) उत्तीर्ण परीक्षार्थी आई0टी0आई0 के समकक्ष नहीं माने जायेंगे।

34-गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार, उत्तराखण्ड द्वारा संचालित विद्याधिकारी परीक्षा।

नोट- उक्त विनियम संशोधन दिनांक 8 मार्च 2014 से प्रभावी माना जाय।

35- महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय रोहतक द्वारा संचालित उत्तर मध्यमा परीक्षा।प्रतिबन्ध यह है कि पूर्व मध्यमा परीक्षा कम के कम पांच विषयों में जिसमें भाषा के अतिरिक्त दो अन्य विषय सम्मिलित हो सहित उत्तीर्ण की गई हो।

उक्त विनियम संशोधन वर्ष 1998 से प्रभावी माना जाय।

(दिनांक 08 अक्टूबर,2016 के राजकीय गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या परिषद-9/707 दिनांक 04 अक्टूबर, 2016 द्वारा संशोधित।)

4- इसी प्रकार उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता" में समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किये जाने हेतु शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश, कानपुर में दिनांक 18.09.2023 को कार्यशाला आयोजित की गयी। कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 के एपीएच-2023-24 को आधार मानते हुए सिविल/विद्युत/यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग के अन्तर्गत पढाये जा रहे पाठ्यक्रमों पर विचार-विमर्श कर शैक्षिक अर्हता की समकक्षता के संबंध में निर्धारित अभिमत, जो निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्र सं0-27424/ई-प्रशा0(अर्हता) दिनांक 26.09.2023 **(छाया प्रति संलग्न)** द्वारा प्राप्त हुआ, के आधार पर प्राविधिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये परामर्श के क्रम में, उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग अवर अभियन्ता (सिविल/विद्युत/यांत्रिक) (समूह 'ग') सेवा नियमावली-2014 के भाग-4 अर्हताओं के बिन्दु संख्या-08 (दो) में उल्लिखित "प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 से सिविल/विद्युत/यांत्रिक अभियांत्रिकी में तीन वर्षीय डिप्लोमा के समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अर्हता" के रूप में निम्नानुसार डिप्लोमा पाठ्यक्रम मान्य होगें :-

(1)निम्नलिखित डिप्लोमा पाठयक्रम, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Civil and Rural Engineering
- Civil (SFS Mode)
- Civil Draftsman
- Civil Engineering
- Civil Engineering and Planning
- Civil Engineering (Building Services Engineering)
- Civil Engineering (Construction Technology)
- Civil Engineering (Construction)
- Civil Engineering (Rural Engineering)
- Civil Technology
- Construction Engineering
- Construction Technology
- Construction Technology and Management
- Geo informatics and Surveying Technology
- Geographic Information System and Global Positioning System
- Quantity Surveying and Construction Management
- Survey Engineering
- Transportation Engineering
- Civil and Environmental Engineering
- Civil (Public Health and Environment) Engineering
- Civil Engineering (Environment and Pollution control)
- Civil Engineering (Environmental Engineering)
- Civil Engineering (Public Health Engineering)
- Civil Environmental Engineering

- Environmental Engineering
- Water Resource Management
- Civil Engineering (Water Resource and Management)
- Water Technology and Health Science

(2) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Electrical and Electronics (Power System)
- Electrical and Electronics Engineering
- Electrical and instrumentation Engineering
- Electrical and Mechanical Engineering
- Electrical and Power Engineering
- Electrical Energy Systems
- Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
- Electrical Engineering
- Electrical Engineering(Electronics and Power)
- Electrical Engineering (Industrial Control)
- Electrical Machines
- Electrical Power Systems
- Power Systems Engineering
- Electronics and Electrical Engineering

(3) निम्नलिखित डिप्लोमा पाठ्यक्रम, डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग के समकक्ष हैं:-

- Automobile Engineering
- Automobile Engineering(Automobile Fitter)
- Automotive Engineering
- Mechanical Engineering(Automobile)
- Mechanical Engineering Automobile
- Energy Systems Engineering
- Heat Power Engineering
- Maintenance Engineering
- Mechanical Engineering(Industry Integrated)
- Mechanical Engineering
- Mechanical Engineering (Maintenance)
- Mechanical Engineering (Refrigeration and Air Conditioning)
- Mechanical Engineering Power Plant Engineering
- Mechanical Engineering Tube Well Engineering
- Mechanical Engineering (Repair and Maintenance)
- Navy Entry Artificer/Diploma in Mechanical and Electrical
- Refrigeration and Air Conditioning
- CAD CAM
- Design and Drafting
- Fabrication Technology
- Fabrication Technology and Erection Engineering
- Foundry Technology
- Industrial and Production Engineering
- Industrial Engineering and Management
- Machine Engineering
- Machine Tools and Maintenance Engineering
- Machine Tools Technology
- Manufacturing Engineering
- Manufacturing Technology
- Material Management
- Mechanical(Computer Aided Design, Manufacture and Engineering)

- Mechanical CAD/CAM
- Mechanical Engineering (Automobile)
- Mechanical Engineering (Tool and Die)
- Mechanical Engineering Automobile
- Mechanical Engineering Production
- Mechanical Engineering Specialization in CAD
- Mechanical Engineering Tool Engineering
- Mechanical Engineering (CAD/CAM)
- Mechanical Engineering (Foundry)(SW)
- Mechanical Engineering (Machine Tool Maintenance and Repairs)
- Mechanical Welding and Sheet Metal Engineering
- Precision Manufacturing
- Production and Industrial Engineering
- Production Engineering
- Production Technology
- Tool and Die Making
- Tool and Die Engineering
- Tool and Die Under Mechanical Engineering
- Tool Die and Mould Making
- Mechatronics
- Robotics and Mechatronics

5- कृपया उक्त निर्धारित समकक्ष अर्हता के अनुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

Digitally Signed by लाल धीरेन्द्र राव
Date: 07-02-2024 16:51:10
Reason: Approved

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।

3- अधीक्षण अभियन्ता(अधिष्ठान) लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- कार्मिक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

ई–मेल आई डी:–cee22gramin@gmail.com

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

दिनांक –27/12/23

पत्रांक 579 /अ–2–2/015–001(ग्रामीण)/23

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर,
लखनऊ ।

विषयः– <u>विहित अर्हता के बराबर/समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित कर अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में ।</u>

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 740/13/चार/आयोग/2023 दिनांक 22.12.2023 एवं 739/17/चार/आयोग/2023 दिनांक 22.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें । उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 204/अ–2–2/015–001 (ग्रामीण)/23 दिनांक 12.04.2023 द्वारा प्रेषित अधियाचन में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत लागू उ0प्र0 अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली–1979 के भाग–4 के विनियम–11 "प्राविधिक अर्हता" में कार्यालय ज्ञाप संख्या 779/अ–2–2/2161–0041/20 दिनांक 21.12.2020 द्वारा संशोधित प्राविधान के अनुसार वे कौन–कौन सी अन्य अर्हताएं हैं जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा मद संख्या (क) व (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाये ।

उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 571/अ–2–2/015–001 (ग्रामीण)/23 दिनांक 20.12.2023 द्वारा सचिव, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849/का–2/2021 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्ष अर्हता से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके कम में उनके पत्रांक प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2023/6507 दिनांक 23.12.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पॉलीटेक्निक संस्थाएं, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मान के अनुसार संचालित होती हैं । अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित Relevant/Appropriate Branches की सूची संलग्न हैं, जिसे आप द्वारा निर्धारित प्राविधिक अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है । उपरोक्त पत्र की छायाप्रति मय संलग्नक संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 693 एवं जूनियर इंजीनियर (वि0/यां0) के 122 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रेषित अधियाचन के अनुरूप चयन की कार्यवाही पूर्ण कराकर चयनित अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
27.12.23
(संदीप कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अ–2–2)

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक यथोक्त :–</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।

मुख्य अभियन्ता (अ–2–2)

Scanned with OKEN Scanner

30/12/23

ई–मेल आई डी:–cee22gramin@gmail.com

उत्तर प्रदेश जल निगम(ग्रामीण)

प्रधान कार्यालय 6. राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ 226001

पत्रांक 579 /अ–2–2/015–001(ग्रामीण)/23 दिनांक – 27/12/23

सेवा में,

सचिव,
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर,
लखनऊ ।

493
29.12.23

विषयः– विहित अर्हता के बराबर/समकक्ष अर्हता स्पष्ट रूप से निर्धारित कर अधियाचन प्रेषित किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या 740/13/चार/आयोग/2023 दिनांक 22.12.2023 एवं 739/17/चार/आयोग/2023 दिनांक 22.12.2023 का संदर्भ ग्रहण करें । उपरोक्त पत्र के माध्यम से यह अवगत कराने की अपेक्षा की गयी है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 204/अ–2–2/015–001 (ग्रामीण)/23 दिनांक 12.04.2023 द्वारा प्रेषित अधियाचन में उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत लागू उ0प्र0 अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा विनियमावली–1979 के भाग–4 के विनियम–11 "प्राविधिक अर्हता" में कार्यालय ज्ञाप संख्या 779/अ–2–2/2161–0041/20 दिनांक 21.12.2020 द्वारा संशोधित प्राविधान के अनुसार वे कौन–कौन सी अन्य अर्हताएं हैं जिन्हें राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा मद संख्या (क) व (ख) में उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर माना जाये ।

उपरोक्त के संबंध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 571/अ–2–2/015–001 (ग्रामीण)/23 दिनांक 20.12.2023 द्वारा सचिव, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ को उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 849/का–2/2021 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्ष अर्हता से अवगत कराये जाने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में उनके पत्रांक प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2023/6507 दिनांक 23.12.2023 **(छायाप्रति संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पॉलीटेक्निक संस्थाएं, अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मान के अनुसार संचालित होती हैं । अखिल भारतीय तकनीकि शिक्षा परिषद (AICTE) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे संबंधित Relevant/Appropriate Branches की सूची संलग्न हैं, जिसे आप द्वारा निर्धारित प्राविधिक अर्हता के समकक्ष माना जा सकता है । उपरोक्त पत्र की छायाप्रति मय संलग्नक संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि उपरोक्त का संज्ञान लेते हुए उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत सीधी भर्ती के जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 693 एवं जूनियर इंजीनियर (वि0/यां0) के 122 रिक्त पदों को भरे जाने हेतु प्रेषित अधियाचन के अनुरूप चयन की कार्यवाही पूर्ण कराकर चयनित अभ्यर्थियों की सूची यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,
27.12.23
(संदीप कुमार)
मुख्य अभियन्ता (अ–2–2)

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोक्त :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/संयुक्त प्रबन्ध निदेशक (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।
2. सचिव (प्रशासन), उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण), लखनऊ ।

मुख्य अभियन्ता (अ–2–2)

ई-मेल

प्रेषक,

सचिव,
प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर-प्रदेश, लखनऊ|

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
उत्तर प्रदेश, जल निगम (ग्रामीण),
प्रधान कार्यालय 6, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ|

पत्रांक:प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2023/6507 **लखनऊ:दिनांक:-** 23/12/2023

विषय: उ०प्र० शासन कार्मिक अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 849/का-2/2021 दिनांक 07 अक्टूबर, 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों में निर्धारित अर्हता की समकक्ष अर्हता से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में|

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्रांक: 571/अ-2-2/015-001(ग्रामीण)/23 दिनांक: 20.12.2023 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें|

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि आपके कार्यालय द्वारा जूनियर इंजिनियर(सिविल/वि०/यां०) के सीधी भारती के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने हेतु प्रेषित अधियाचन में भर्ती के नियमो में निर्धारित "प्राविधिक अर्हता" के समकक्षता जो राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर-प्रदेश द्वारा उल्लिखित डिप्लोमा के बराबर अर्हता की जानकारी चाही गयी हैं, के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पालीटेक्निक संस्थाएं अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद (AICTE) द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार संचालित होती हैं|

अखिल भारतीय तकनिकी शिक्षा परिषद (AICTE) के अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक (APH 2022-23) के Annexure-7 में उल्लिखित डिप्लोमा कोर्सेस तथा उनसे सम्बंधित Relevant/Appropriate Branches की सूची संलग्न हैं, जिसे आप द्वारा निर्धारित प्राविधिक अर्हता के समकक्ष माना जा सकता हैं|

संलग्न सूची के अनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें|

संलग्नक- उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अजीत कुमार मिश्र)
O/C सचिव

पृ०सं०: प्राशिप/परिषद/समकक्षता/2023/ 6508 **लखनऊ:दिनांक:-** 23/12/2023

प्रतिलिपि: सचिव, उ०प्र० अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित|

(अजीत कुमार मिश्र)
O/C सचिव

ANNEXURE-7

Major Disciplines, their corresponding Courses and Relevant/ Appropriate Branch of Diploma in Engineering and Technology

Major Discipline	Corresponding Courses (if any)	Diploma Courses permissible for Merger
Aeronautical Engineering		Aero Space Engineering
		Aeronautical Engineering
		Aircraft Maintenance Engineering (Avionics)
		Aircraft Maintenance Engineering
Agriculture Engineering		Agricultural Engineering
		Agricultural Technology
Architecture		Architectural Assistantship
		Interior Decoration
		Interior Design
Biotechnology		Biotechnology
Ceramic Engineering		Ceramic Engineering and Technology
		Ceramic Technology
		Ceramics Engineering
		Glass and Ceramics Engineering
Chemical Engineering	Chemical Engineering	Chemical Engineering
		Chemical Engineering (Fertilizer)
		Chemical Engineering (Oil Technology)
		Chemical Engineering (Petro Chemical)
		Chemical Engineering (Plastic and Polymer)
		Chemical Engineering (Sugar Technology)
		Chemical Engineering
		Chemical Technology
		Chemical Technology (Paint Technology)
		Chemical Technology (Rubber and Plastic Technology)
		Chemical Technology Fertilizer
		Chemical Technology (Rubber/ Plastic)
		Surface Coating Technology
		Technical Chemistry
	Oil and Paint Technology	Paint Technology
		Chemical Engineering (Oil Technology)
		Chemical Technology (Paint Technology)
	Petrochemical Engineering	Petrochemical Engineering
		Petrochemical Refinery
		Petrochemical Technology
		Petroleum Engineering
		Petroleum Technology
		Chemical Engineering (Petro Chemical)
		Plastic and Mould Technology

		Computer Science and Engineering
		Computer Science
		Computer Science and Technology
		Computer Science and Systems Engineering
		Computer Software Technology
		Computer Technology
		Computer Technology and Applications
		Cyber Forensics and Information Security
		Computer Applications
		Network Engineering
		Web Designing
		Web Technologies
		Electronics and Computer Engineering
	Information Technology	Computer Science and Information Technology
		Information and Communication Technology
		Information Engineering
		Information Science
		Information Science and Engineering
		Information Science and Technology
		Information Security Management
		Information Technology
		Information Technology and Engineering
		Information Technology Enabled Services and Management
		Advanced Communication and Information System
		I.T. (Courseware Engineering)
		Computer and Information Science
Dairy Engineering		Dairy Engineering
Electrical Engineering		Electrical and Electronics (Power System)
		Electrical and Electronics Engineering
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical and Mechanical Engineering
		Electrical and Power Engineering
		Electrical Energy Systems
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electrical Engineering
		Electrical Engineering (Electronics and Power)
		Electrical Engineering (Industrial Control)
		Electrical Machines
		Electrical Power Systems
		Power Systems Engineering
		Electronics and Electrical Engineering
Electronics and Communication Engineering	Electronics Engineering	Applied Electronics
		Digital Electronics
		Digital Electronics and Microprocessor
		Digital Systems
		Electrical and Electronics (Power System)

	Instrumentation Engineering	Automation and Robotics
		Automation Engineering
		Control and Instrumentation
		Biomedical Instrumentation
		Electrical and Instrumentation Engineering
		Electrical Engineering (Instrumentation and Control)
		Electronic Instrumentation and Control Engineering
		Electronics and Instrumentation Engineering
		Electronics (Robotics)
		Electronics Communication and Instrumentation Engineering
		Electronics Robotics
		Industrial Electronics
		Instrument Technology
		Instrumentation
		Instrumentation and Control Engineering
		Instrumentation (E&C)
		Instrumentation Engineering
		Instrumentation Technology
	Medical Electronics Engineering	Bio Electronics
		Biomedical Engineering
		Medical Electronics Engineering
		Medical Electronics
		Biomedical Instrumentation
Fire and Safety Engineering		Fire Technology and Safety
Food Engineering		Food Processing and Preservation
		Food Processing Technology
		Food Technology
Leather Technology		Footwear Technology
		Leather and Fashion Technology
		Leather Goods and Footwear Tech
		Leather Technology
		Leather Technology (Footwear)
		Leather Technology Footwear Computer Aided Shoe Design
		Leather Technology Tanning
		Saddlery Technology and Export Management
Marine Engineering		Marine Engineering and Systems
		Marine Engineering
		Marine Engineering and Systems (Artificer Training)
		Marine Engineering and Systems
Mechanical Engineering	Automobile Engineering	Automobile Engineering
		Automobile Engineering (Automobile Fitter)
		Automotive Engineering
		Mechanical Engineering (Automobile)

	Mechatronics	Tool and Die Making
		Tool and Die Engineering
		Tool and Die Under Mechanical Engineering
		Tool Die and Mould Making
		Mechatronics
		Robotics and Mechatronics
Metallurgy Engineering		Metallurgical Engineering
		Metallurgy
		Metallurgy and Material Technology
Military Engineering		Artificer Training (Electronics)
		Artificer Training (Electrical)
		Artificer Training (Mechanical)
		Armament Engineering (Gun Fitter)
		Weapons Engineering
		Navy Entry Artificer/ Diploma in Mechanical and Electrical
Mining Engineering		Mine Engineering
		Mine Surveying
		Mining and Mine Surveying
		Shipbuilding Engineering
		Drilling Engineering
		Drilling Technology
Packaging Technology		Packaging Technology
		Printing and Packing Technology
Pharmaceutical Engineering		Pharmaceutical Chemistry and Technology
Printing Engineering		Printing and Packing Technology
		Printing Technology
Pulp Technology		Pulp Technology
		Wood and Paper Technology
Textile Engineering		Apparel Design and Fabric
		Apparel Design and Fabrication Technology
		Apparel Design and Fashion Technology
		Apparel Manufacture and Design
		Apparel Technology
		Computer Aided Costume Design and Dress Making
		Costumer Design and Dress Making
		Handloom and Textile Technology
		Textile Technology (Man Made Fibre Technology)
		Dress Designing and Garment Manufacturing
		Fashion and Clothing Technology
		Fashion and Design
		Fashion and Apparel Design
		Fashion Designing
		Fashion Designing and Garment Technology
		Fashion Technology

Cosmetology		Beauty and Hair Dressing
		Beauty Culture and Cosmetology
		Cosmetology and Health
Cinematography		Applied Videography
		Audiography and Sound Engineering
		Cinematography
		Direction Screen Play Writing and TV Production
		Film and Video Editing
		Film Editing and TV Production
		Film Technology and TV Production (Cinematography)
		Film Technology and TV Production (Film Processing)
		Film Technology and TV Production (Sound Recording and Sound Engineering)
		Film Technology (Animation and Visual Effects)
		Photography
		Sound Recording Engineering
Hotel Management		Hotel Management and Catering Technology
Journalism and Mass Communication		Mass Communication
Cement Technology		Cement Technology
Engineering Education		Engineering Education
Fisheries Technology		Fisheries Technology
Home science		Home Science
Jewellery Design and Manufacture Technology		Jewellery Design and Manufacture Technology
Library and InformationScience		Library and Information Science
Sugar Technology		Sugar Technology
Travel and Tourism		Travel and Tourism
Wood Technology		Wood Technology